सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः— **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **35/2004** दायर दिनाँक **16.03.2004**

वादीगण		प्रतिवादीगण
1. रामसिंह पुत्र भवानीसिंह, (फौत), के वारिशान्— 01/01 छगनकँवर पत्नी स्वर्गीय रामसिंह, 01/02 भँवरकँवर पत्नी गजेन्द्रसिंह पुत्री स्वर्गीय रामसिंह, उम्र—49साल, 01/03 बजरंगसिंह पुत्र स्वर्गीय रामसिंह, उम्र—45साल, 01/04 दशरथसिंह पुत्र स्वर्गीय रामसिंह, उम्र—41साल, 01/05 मनोहरसिंह पुत्र स्वर्गीय रामसिंह, उम्र—36साल, 01/06 रणवीरसिंह पुत्र स्वर्गीय रामसिंह, उम्र—30साल, 01/07 पूर्णसिंह पुत्र स्वर्गीय रामसिंह, उम्र—26साल, समस्त,कौम—राजपूत, निवासी—बरड़वा, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।	**बनाम**	1. नथूकँवर पत्नी कर्णसिंह, 2. मोतीसिंह पुत्र नोरंगसिंह, 3. राजेन्द्रसिंह पुत्र नोरंगसिंह, 4. रतनकँवर पत्नी नोरंगसिंह, 5. भागीरथसिंह उर्फ उम्मेदसिंह पुत्र जेतसिंह, 6. छोटूसिंह पुत्र जेतसिंह, समस्त,जाति—राजपूत, निवासी—बरड़वा, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, 7. राज्य सरकार जरिये तहसलदार डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 35/2004
दायर दिनाँक 16.03.2004, निर्णय दिनाँक 14.05.2018
रामसिंह के वारिशान् छगनकँवर, वगैरा बनाम् नथुसिंह, वगैरा।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी व बन्टवारा,
अन्तर्गत धारा– 88, 53, R.T.Act.

उपस्थितः–

1. पक्षकारान् उपस्थित।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक 14.05.2018

वाद का सारांश संक्षिप्त में इस प्रकार है कि, शरहद बरड़वा में खसरा नम्बर 323 रकबा 13.05 बीघा, खसरा नम्बर 344 रकबा 14.01 बीघा, खसरा नम्बरं 224 रकबा 20.18 बीघा अवस्थित है। उक्त भूमि पक्षकारान् की पैतृक है।

वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 06 एक ही वंश के हैं। उपर्युक्त खातेदारी गत तीस वर्षों से लापता कर्णसिंह पुत्र पीरदानसिंह के नाम से दर्ज है इसलिए कर्णसिंह की पत्नी नथूकँवर को प्रतिवादी बनाया गया है।

प्रार्थना वादी है कि,

शरहद बरड़वा में खसरा नम्बर 323 रकबा 13.05 बीघा, खसरा नम्बर 344 रकबा 14.01 बीघा, खसरा नम्बर 224 रकबा 20.18 बीघा अवस्थित है। शरहद बरडवा के खसरा नम्बर 323 रकबा 13.05 बीघा में से पश्चिमी भाग रकबा 05.00 बीघा की खातेदारी वादी रामसिंह के नाम से घोषित की जावे, शेष भूमि पूर्वी भाग रकबा 08.05 बीघा प्रतिवादीगण संख्या 02 ता 06 की खातेदारी रखी जावे।

शरहद बरड़वा में खसरा नम्बर 344 रकबा 14.01 बीघा सम्पूर्ण भाग प्रतिवादीगण संख्या 02 ता 06 के कब्जाकाश्त में है।

शरहद बरड़वा में खसरा नम्बर 224 रकबा 20.18 बीघा में से उत्तरी भाग रकबा 10.09 बीघा वादी रामसिंह के नाम से घोषित की जावे तथा शेष दक्षिणी भाग भूमि रकबा 10.09 बीघा प्रतिवादीगण संख्या 02 ता 06 की खातेदारी में रखी जावे तथा इसी के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जावे।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 35/2004
दायर दिनाँक 16.03.2004, निर्णय दिनाँक 14.05.2018
रामसिंह के वारिशान् छगनकँवर, वगैरा बनाम् नथूसिंह, वगैरा।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया।

प्रतिवादीगण संख्या 01 व 07 के बावजूद तामिलगी के न्यायालय मे अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लायी जाने का आदेश पारित किया गया।

न्याय आपके द्वार,2018 : राजस्व कोर्ट कैम्प–**बरड़वा** में पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान् उपस्थित। पक्षकारान् को सुना गया। वादी रामसिंह के वारिशान् की ओर से वादी के कायम मुकाम का प्रार्थना–पत्र पेश हुआ जिसे स्वीकार कर रामसिंह के वारिशान् को नियमानुसार रिकॉर्ड पर लिया गया। वादीगण व प्रतिवादीगण की ओर से वाद में पूर्व ही राजीनामा पेश हो चुका है। कोर्ट कैम्प में वादीगण व प्रतिवादीगण ने आज बन्टवारा मय नजरीनक्शा पेश किया, जिसके अनुसार–

शरहद बरड़वा में खसरा नम्बर 323 रकबा 13.05 बीघा में से पश्चिमी हिस्सा रकबा 05.00 बीघा का वादी रामसिंह के वारिशान् 01/01 ता 01/07 को व पूर्वी हिस्सा रकबा 08.05 बीघा का प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 06 को खातेदार घोषित किया जावे।

शरहद बरड़वा में खसरा नम्बर 224 रकबा 20.18 बीघा में से रकबा 11.00 बीघा भूमि उत्तरी हिस्सा रकबा 09.18 बीघा भूमि दक्षिणी भाग का प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 06 को खातेदार घोषित किया जावे।

वादीगण व प्रतिवादीगण, बन्टवारा मय नजरीनक्शा अनुसार दावा डिक्री किया जाने का निवेदन कर रहे हैं। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया।

वाद में राजीनामा हो चुका है। मजमे आम में, हस्तगत वाद के सम्बन्ध में जानकारी ली गयी। मजमे आम में सामने आई जानकारी व पक्षकारान् द्वारा पेश बन्टवारा मय नजरीनक्शा के परिप्रेक्ष्य में दावा डिक्री किया जाना न्यायालय के मत में न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः, वाद वादीगण, बाद विवेचनां, डिक्री सादिर किया जाता है।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 35/2004
दायर दिनाँक 16.03.2004, निर्णय दिनाँक 14.05.2018
रामसिंह के वारिशान् छगनकँवर, वगैरा बनाम् नथूसिंह, वगैरा।

–:: आदेश ::–

हस्ब दावा डिक्री सादिर कर, शरहद **बरड़वा** में वादवर्णित भूमि का बन्टवारा बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स के कर, वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, नजरीनक्शा अनुसूची "अ", में दर्शितानुसार–निम्नानुसार घोषित की जाती है:–

1. **खसरा नम्बर 323 रकबा 13.05 बीघा,** में से पश्चिमी हिस्सा रकबा 05.00 बीघा का वादी रामसिंह के वारिशान् 01/01 ता 01/07 को व पूर्वी हिस्सा रकबा 08.05 बीघा का प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 06 को संयुक्त खातेदार काश्तकार खातेदार घोषित किया जाता है।
2. **खसरा नम्बर 224 रकबा 20.18 बीघा,** में से उत्तरी हिस्सा रकबा 11.00 बीघा का वादी रामसिंह के वारिशान् 01/01 ता 01/07 को व दक्षिणी हिस्सा रकबा 09.18 बीघा भूमि का प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 06 को संयुक्त खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो। नजरीनक्शा अनुसूची "अ", निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–बरड़वा

निर्णय, आज दिनाँक **14.05.2018** को सरे कोर्ट कैम्प में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–बरड़वा

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
–:: न्याय आपके द्वार,2018: राजस्व कोर्ट कैम्प ::–
बइजलास : श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 35 / 2004 दायर दिनाँक 16.03.2004

वादीगण		प्रतिवादीगण
1. रामसिंह पुत्र भवानीसिंह, (फौत), के वारिशान– 01 / 01 छगनकँवर पत्नी स्वर्गीय रामसिंह, 01 / 02 भँवरकँवर पत्नी गजेन्द्रसिंह पुत्री स्वर्गीय रामसिंह, उम्र–49साल, 01 / 03 बजरंगसिंह पुत्र स्वर्गीय रामसिंह, उम्र–45साल, 01 / 04 दशरथसिंह पुत्र स्वर्गीय रामसिंह, उम्र–41साल, 01 / 05 मनोहरसिंह पुत्र स्वर्गीय रामसिंह, उम्र–36साल, 01 / 06 रणवीरसिंह पुत्र स्वर्गीय रामसिंह, उम्र–30साल, 01 / 07 पूर्णसिंह पुत्र स्वर्गीय रामसिंह, उम्र–26साल, समस्त,कौम–राजपूत, निवासी–बरड़वा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम	1. नथूकँवर पत्नी करणसिंह, 2. मोतीसिंह पुत्र नोरंगसिंह, 3. राजेन्द्रसिंह पुत्र नोरंगसिंह, 4. रतनकँवर पत्नी नोरंगसिंह, 5. भागीरथसिंह उर्फ उम्मेदसिंह पुत्र जेतसिंह, 6. छोटूसिंह पुत्र जेतसिंह, समस्त,जाति–राजपूत, निवासी–बरड़वा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 7. राज्य सरकार जरिये तहसलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
घोषणा खतेदारी व बन्टवारा,
अन्तर्गत धारा– 88, 53, R.T.Act.

दिनाँक 14.05.2018

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई उपस्थित पक्षकारान् ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि,

हस्ब दावा डिक्री सादिर कर, शरहद बरड़वा में वादवर्णित भूमि का बन्टवारा बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स के कर, वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, नजरीनक्शा अनुसूची "अ", में दर्शितानुसार–निम्नानुसार घोषित की जाती है:–

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

खसरा नम्बर 323 रकबा 13.05 बीघा, में से पश्चिमी हिस्सा रकबा 05.00 बीघा का वादी रामसिंह के वारिशान् 01/01 ता 01/07 को व पूर्वी हिस्सा रकबा 08.05 बीघा का प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 06 को संयुक्त खातेदार काश्तकार खातेदार घोषित किया जाता है।

1. **खसरा नम्बर 224 रकबा 20.18 बीघा,** में से उत्तरी हिस्सा रकबा 11.00 बीघा का वादी रामसिंह के वारिशान् 01/01 ता 01/07 को व दक्षिणी हिस्सा रकबा 09.18 बीघा भूमि का प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 06 को संयुक्त खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। नजरीनक्शा अनुसूची "अ", निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत.................–....................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख **14.05.2018** को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–बरड़वा

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	 – –		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–बरड़वा

Scanned by CamScanner